

an>

Title: Need to declare Shravasti district of Uttar Pradesh as drought-hit.

**श्री ददन मिश्रा (श्रावस्ती) :** मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) के श्रावस्ती जनपद के किसानों की ओर आकर्षित कर रहा हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले श्रावस्ती और बलशमपुर नेपाल से सटे हुए हैं। दोनों जिलों की औनोलिक रिथिंग, जलवायु एवं जमीन एक जैसी हैं। दोनों जनपदों में सूखा पड़ने से अवैध किसानों की कमर टूट तुरी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वाया जनपद बलशमपुर को तो सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह श्रावस्ती के किसानों के साथ अन्याय है। जिसके कारण श्रावस्ती के किसानों में आशी शेष और निराशा व्याप्त है। श्रावस्ती में फसलों की उपज वर्षा के अभाव में एक चौथाई रह गई है। जानकारी के मुताबिक 60 प्रतिशत से कम वर्षा वाले जिलों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है। ऐसी रिथिंग में जनपद श्रावस्ती भी सूखे की चपेट में छोने के कारण सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित होने का पूरा अधिकार रखता है। जनपद श्रावस्ती में 50 प्रतिशत से भी कम वर्षा रुई है। परन्तु अधिकारियों की लापरवाही और गलत रिपोर्ट लगाने की वजह से श्रावस्ती को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है।

आतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि तत्काल सक्षम जाँच कर्मियों द्वारा जमीनों की पूरी तरह से जाँच कराई जाए और जनपद श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए।